जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 16.11.2024

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **मेंहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता जोगेन्द्र पुत्र बली करन निवासी गगनई बाबू थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 अजय कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षो मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत गागरघाट से इवेंट सं0 49615 कालर ने मो0न0- 8962992965 से कालर विनीत चौधरी द्वारा दो पक्षो के मारपीट में घालय होने के कारण घायल 01 व्यक्ति (दीनानाथ चौधरी पुत्र स्व0 रामधारी निवासी गागरगढ़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी मलौला भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 उपेन्द्र कुमार, का0 मुकेश पाल, हो0चा0 राजेश कुमार।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 64 वाहनों से 78000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 64 वाहनों से 78000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 16.11.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बेलहरकला*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2020 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जैनुल आबदीन पुत्र मसूद आबदीन निवासी बनेथू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0 को तीन माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भगतना होगा। अभि0 द्वारा जेल में बितायी गयी कोई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 16.11.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 स0क0न0*** द्वारा **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/1990 धारा 352,504,506,427 भादवि के मामलें में अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भवानी प्रसाद को अन्तर्गत धारा 352,427,504,506 भादवि के मामले में जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध किया जाता है। अभि0 को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं धारा 352,427,504,506 भादवि के अपराध हेतु 3000 रु0 जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 2000 रु0 वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपुर्ति प्रतिकर देय होगी।